"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2012—आषाढ़ 8, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जून 2012

क्रमांक एफ 1-1/2012/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित जिलों के नगरीय निकायों के उप निर्वाचन, 2012 हेतु मतदान की तिथि मंगलवार दिनांक 19 जून, 2012 को केवल निर्वाचन क्षेत्रों के शासकीय कार्यालयों में सामान्य अवकाश घोषित करता है :—

क्र.	जिला	नगरीय निकाय (निर्वाचन क्षेत्र) का नाम
1.	जांजगीर-चांपा	नगर पंचायत खरौद के रिक्त वार्ड क्रमांक -8
		नगर पंचायत चन्द्रपुर के रिक्त वार्ड क्रमांक-5
2.	दुर्ग	नगर पालिका परिषद्, भिलाई, चरौदा के रिक्त वार्ड क्रमांक-13

... राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

3.	बालोद	नगर पंचायत गुण्डरदेही के रिक्त वार्ड क्रमांक-8
		नगर पंचायत चिखलाकसा के रिक्त वार्ड क्रमांक-1, 14, 15
4.	धमतरी	नगर पंचायत मगरलोड के रिक्त वार्ड क्रमांक-6

2. उपरोक्त अवकाश मतदान की स्थिति में ही अनुज्ञेय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2012

क्रमांक 592/432/अव./2012/1-8/स्था.—श्री के. डी. कुंजाम, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 01-06-2012 से 08-06-2012 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09 एवं 10-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुंजाम, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुंजाम को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुंजाम अवकाश पर नहीं जाते तो अपन पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2012

क्रमांक 618/415/अव./2012/1-8/स्था.—श्री ए. एच. सिद्दिकी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 05-06-2012 से 06-06-2012 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 03 एवं 04-06-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिद्दिकी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिद्दिकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्दिकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2012

क्रमांक 620/319/अव./2012/1-8/स्था.—श्री पी. डी. दोहरे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 05-06-2012 से 15-06-2012 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 03, 04, 16 एवं 17-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दोहरे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दोहरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दोहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2012

क्रमांक 622/439/अव./2012/1-8/स्था.—श्री संजीव बक्शी, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 18-06-2012 से 07-07-2012 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 16, 17-06-2012 एवं 08-07-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बक्शी, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ

3. अवकाश अवधि में श्री बक्शी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बक्शी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2012

क्रमांक 624/437/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एस. के. चौधरी, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 28-05-2012 से 02-06-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 27-05-2012, 03 एवं 04-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चौधरी, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2012

क्रमांक एफ 9-6/2012/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. के. जनवदे, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर की सेवाएं लोक निर्माण विभाग से लेते हुये, उन्हें तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक, "गुणवत्ता वर्ष" में समस्त निर्माण विभागों के निर्माण कार्यों हेतु, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत नव निर्मित विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर पदस्थ करता है.

2. उक्त पद प्रमुख अभियंता के पद के समकक्ष एवं सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन होगा.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2012

क्रमांक 630/1016/अव./2012/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1661-62/850/अव./2011/1-8/स्था. दिनांक 8-12-2011 द्वारा श्रीमती रेजीना टोप्पो, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 5-12-2011 से 16-12-2011 तक 12 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

मछली पालन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक एफ 6-18/36/यो./2010.—विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-2/36/तक./2006/दिनांक 14-11-2006 एवं आदेश क्र. एफ 7-4/अन्य/2008 दिनांक 12-09-2008 द्वारा मत्स्य विकास सलाहकार मंडल में मनोनीत अशासकीय सदस्यों का मनोनयन निरस्त करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा मत्स्य सलाहकार मंडल में निम्न व्यक्तियों को अशासकीय सदस्य मनोनीत करता है :—

1. श्री विष्णु हिरवानी, धमतरी
2. श्री बसंत तारक, रायपुर
3. श्री सूरजू धीवर, राजनांदगांव
4. श्री सुरेन्द्र बेलचंदन, दुर्ग
5. श्री भावेश सरकार, निवासी कमलपुर, रामानुजगंज
6. श्री प्रशांत सरकार, निवासी धनगांव, बलरामपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2012

क्रमांक 4776/1459/2012/तक-4.—भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8), जैसा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, का धारा-2 सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-31/26/89/जी/19, भोपाल, दिनांक 22-02-1990 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा राजनांदगांव जिले में धनोरा मुरमगांव मार्ग राजनांदगांव के कि.मी. 40/2-4 पर स्थित कोतरी नदी पुल पर पथकर की वसूली दिनांक 01-07-2012 से समाप्त करती है.

No. 4776/1459/2012/T-4.—In exercise of the powers conferred by section 2 read with Section 4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. 8 of 1851) and its application to the State of Chhattisgarh, the State Government, in Supersession of Department Notification No. F-31/26/89/G/19, Bhopal, Date 22-02-1990 hereby stops the levy of Tolls on Kotri River Bridge located at 40/2-4 Km. of Rajnandgaon, Dhanora Muramgaon Road in Rajnandgaon District with effect from 01-07-2012.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. सहगल, उप-सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्रमांक/1836/एफ-8-65/2012/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 13011/15/99/Credit-II दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा प्रशासनिक अनुमोदन क्रमांक 13011/04/2004/Credit-II दिनांक 06-02-2012 द्वारा दिये अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" के अंतर्गत खरीफ 2012 फसलों के लिए राज्य शासन एतद्द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित करती है :—

निम्नलिखित फसलों को अधिसूचित किया गया है :—

1. धान सिंचित 2. धान असिंचित 3. मक्का 4. सोयाबीन 5. मूंगफली 6. तुअर (अरहर)

अधिसूचित क्षेत्र :—

(i) सभी फसलों के लिये अधिसूचित क्षेत्र राजस्व निरीक्षण मण्डल होगी, सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के जिलों के नाम, तहसील तथा संबंधित राजस्व निरीक्षण मण्डल परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है।

(ii) इस योजना में ऋणी किसान, अऋणी किसान, बटाईदार और काश्तकार कृषक भी भाग ले सकते हैं।

(iii) ऋणी किसान अनिवार्य रूप से और अऋणी किसान ऐच्छिक रूप से इस योजना में भाग ले सकते हैं।

(iv) 1 अप्रैल, 2012 से 30 सितम्बर, 2012 तक अधिसूचित फसलों के लिए ली गई ऋण राशि खरीफ 2012 मौसम के लिए कवर किया जायेगा ।

(v) अऋणी किसान और लिये गये ऋण राशि से उच्च बीमा चाहने वाले ऋणी किसान के लिये बीमा करने की अंतिम तिथि 31-07-2012 होगी।

(vi) जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं व्यवसायिक बैंक, छ.ग. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से अधिसूचित फसलों की ऋण राशि का बीमा इस मौसम में किया जायेगा।

संबंधित बैंकों का नोडल शाखा नीचे दिये गये समय सारणी के अनुसार घोषणा-पत्र ग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि., क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

समय सारणी

माह के वितरित ऋण	घोषणा–पत्र स्वीकार किये जाने की सीमा
अप्रैल, 2012 एवं मई, 2012	30 जून, 2012
जून, 2012	31 जुलाई, 2012
जुलाई, 2012	31 अगस्त, 2012
अगस्त, 2012	30 सितंबर, 2012
सितंबर, 2012	31 अक्टूबर, 2012
अंतिम	30 नवंबर, 2012 (मौसम की अंतिम तिथि)

शासन द्वारा उपज के आंकड़े भेजने की अंतिम तिथि तुअर को छोड़कर सभी फसल के लिए 31.01.2013 होगी। तुअर फसल के लिए आंकड़े देने की अंतिम 31.05.2013 होगी।

प्रीमियम में अनुदान :–

ऋणी एवं अऋणी लघु एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम में 25% अनुदान की पात्रता है जिसमें से 20% हिस्सा राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा शेष 5% हिस्सा भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और लघु एवं सीमांत किसानों के लिए समस्त बैंक के नोडल कार्यालय को प्रीमियम की 75% राशि ही इंश्योरेंश कंपनी को प्रेषित करनी होगी ।

लघु एवं सीमांत किसानों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगाः– जो कि केन्द्र सरकार के एकीकृत ग्रामीण विकास के अनुरूप होगी।

लघु कृषकः–

ऐसे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर (5 एकड़) या उससे कम जमीन हो तो वह लघु कृषक कहलायेंगे।

सीमांत कृषकः–

ऐसे कृषक जिनके पास 1 हेक्टेयर (2.5 एकड़) या उससे कम जमीन हो तो वह सीमांत कृषक कहलायेंगे।

बैंक सर्विस चार्जेस :–

सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी किसानों का बीमा करने के लिए कुल प्रीमियम राशि का 2.5% बैंक सर्विस चार्जेस मौसम समाप्ति के पश्चात् राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा संयुक्त रूप से एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

दावा गणना :–

दावा की गणना आयुक्त भू–अभिलेख, रायपुर द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए फसल कटाई प्रयोग पर आधारित उपज दर के आंकड़ों से किया जायेगा। शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावारी, सूखा, बाढ़, अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप–सचिव.

परिशिष्ट-1

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2012 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली राजस्व निरीक्षक मंडलों की सूची

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
1	धान असिंचित (255)	रायपुर	रायपुर	1	रायपुर–1
				2	धरसींवा–1
				3	धरसींवा–2
			आरंग	4	आरंग
				5	मंदिर हसौद
			अभनपुर	6	अभनपुर
				7	नवापारा
			तिल्दा	8	तिल्दा
				9	खरोरा
		बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	10	बलौदाबाजार
				11	लवन
			बिलाईगढ़	12	बिलाईगढ़
				13	भटगांव
			कसडोल	14	कसडोल
				15	गिधौरी
			सिमगा	16	सिमगा
				17	जरौद
			भाटापारा	18	भाटापारा
				19	निपनिया
			पलारी	20	पलारी
				21	सण्डी
		गरियाबंद	छुरा	22	छुरा
			मैनपुर	23	मैनपुर
			देवभोग	24	देवभोग
			गरियाबंद	25	गरियाबंद
			फिगेश्वर–राजिम	26	राजिम
		महासमुंद	महासमुंद	27	महासमुंद
				28	पटेवा
			बागबाहरा	29	खल्लारी
				30	कोमाखान
			पिथौरा	31	पिथौरा
				32	सांकरा
			बसना	33	बसना
				34	भंवरपुर
			सरायपाली	35	सरायपाली
				36	खम्हारपाली

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
1	धान असिंचित	धमतरी	धमतरी	37	धमतरी
				38	भोथली
			नगरी	39	नगरी–सिहावा
			कुरूद	40	कुरूद
			मगरलोड	41	मगरलोड
		दुर्ग	दुर्ग	42	दुर्ग–1
				43	दुर्ग–2
				44	अन्डा
			पाटन	45	पाटन
				46	भिलाई
			धमधा	47	धमधा
				48	अहिवारा
		बालोद	बालोद	49	बालोद
			डौण्डी	50	दल्लीराजहरा
			डौण्डीलोहारा	51	डौंडीलोहारा
				52	खेरखा
			गुरूर	53	गुरूर
			गुण्डरदेही	54	गुण्डरदेही
				55	अर्जुण्दा
		बेमेतरा	बेमेतरा	56	बेमेतरा
				57	खण्डसरा
			नवागढ़	58	नवागढ़
				59	मारो
			थानखम्हरिया	60	थानखमरिया
			बेरला	61	बेरला
				62	अनंदगांव
			साजा	63	साजा
				64	देवकर

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
1	धान असिंचित	राजनांदगांव	राजनांदगांव	65	धुमका
				66	राजनांदगांव–1
				67	राजनांदगांव–2
			छुरिया	68	छुरिया
				69	खुज्जी
			डोंगरगांव	70	डोंगरगांव
				71	तुमड़ीबोड़
			खैरागढ़	72	खैरागढ
				73	पाड़ादाह
			छुईखदान	74	छुईखदान
				75	गंडई
			डोंगरगढ़	76	डोंगरगढ़
				77	लालबहादुर नगर
			मानपुर	78	मानपुर
			मोहला	79	मोहला
			अंबागढ़ चौकी	80	अंबागढ़ चौकी
		कबीरधाम (कवर्धा)	बोड़ला	81	तरेगांव जंगल
				82	राजानवागांव
				83	चिल्फी
				84	बोड़ला
				85	रेंगाखारकला
			कवर्धा	86	कवर्धा–1
				87	कवर्धा–2
				88	रवेली
				89	पिपरिया
				90	दशरंगपुर
				91	मुरका
			पंडरिया	92	पंडरिया
				93	नेउर
				94	कुकदुर
				95	दुल्लापुर
				96	मोहगांव
				97	कुण्डा
			सहसपुर लोहारा	98	सहसपुर लोहारा
				99	सिलहारी
				100	चारभाठा
				101	विरेन्द्रनगर

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
1	धान असिंचित	बस्तर (जगदलपुर)	जगदलपुर	102	जगदलपुर–अ
				103	जगदलपुर–ब
				104	नानगुर
			लोहांडीगुड़ा	105	चित्रकोट
			तोकापाल	106	केसलूर
			बस्तानार	107	बस्तानार
			दरभा	108	दरभा
			बस्तर	109	बस्तर
				110	भानपुरी
			बकावंड	111	बकावंड
				112	मुली
				113	करपादंड
		कोण्डागांव	कोण्डागांव	114	कोडागांव
				115	मर्दापाल
			माकड़ी	116	माकडी
			फरसगांव	117	फरसगांव
			केशकाल	118	केशकाल
				119	धनौरा
			बड़ेराजपुर	120	बड़ेराजपुर
		नारायणपुर	नारायणपुर	121	नारायणपुर
				122	घोड़ाई
		कांकेर	कांकेर	123	कांकेर
			चारामा	124	चारामा
				125	लखनपुरी
			नरहरपुर	126	नरहरपुर
				127	सरोना
			भानुप्रतापपुर	128	भानुप्रतापपुर
				129	कोरर
			दुर्गकोंदल	130	दुर्गकोंदल
			पखांजूर	131	पखांजूर
				132	बांदे
				133	कोयलीबेड़ा
			अंतागढ़	134	अंतागढ़
				135	आमाबेड़ा

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
1	धान असिंचित	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	136	दंतेवाड़ा
				137	बड़ेबचेली
				138	कोड़म
			गीदम	139	गीदम
				140	बारसूर
			कुआकोण्डा	141	कुआकोण्डा
				142	किरंदुल
			कटेकल्याण	143	कटेकल्याण
				144	बड़ेगुडरा
		सुकमा	कोंटा	145	कोंटा
				146	जुगरगुड़ा
				147	कांकेरलंका
			सुकमा	148	सुकमा
				149	गादीरास
			छिंदगढ़	150	छिंदगढ़
				151	तोंगापाल
		बीजापुर	बीजापुर	152	बीजापुर
			भैरमगढ़	153	भैरमगढ़
			भोपालपट्टनम	154	भोपालपट्टनम
			उसूर	155	उसूर
		बिलासपुर	मस्तुरी	156	मस्तुरी
				157	सीपथ
			तखतपुर	158	तखतपुर
				159	सकरी
			बिल्हा	160	तिलखा
			पेण्ड्रारोड़	161	गौरेला
			पेण्ड्रा	162	पेण्ड्रा
			मरवाही	163	मरवाही
			बिलासपुर	164	बिलासपुर
				165	बेलतरा
			कोटा	166	कोटा
				167	रतनपुर
		मुंगेली	मुंगेली	168	मुंगेली
				169	जरहागांव
			पथरिया	170	पथरिया
			लोरमी	171	लोरमी

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
1	धान असिंचित	जांजगीर – चांपा	जांजगीर	172	जांजगीर
			चांपा	173	चांपा
				174	बम्हनीडीह
			पामगढ़	175	पामगढ़
				176	राहोद
			सक्ती	177	सक्ती
			डभरा	178	डभरा
				179	चन्द्रपुर
			नवागढ़	180	नवागढ़
				181	शिवरीनारायण
			जैजेपुर	182	जैजेपुर
				183	हसौद
			मालखरौदा	184	मालखरौदा
				185	अड़मार
			अकलतरा	186	अकलतरा
			बलौदा	[illegible]	[illegible]लौदा
		कोरबा	कोरबा	188	कोरबा
				189	भैंसमा
			करतला	190	करतला
				191	बरपाली
			कटघोरा	192	कटघोरा
				193	दी[illegible] ह.ब.
			पाली	194	[illegible]
				195	हरदीबाजार
				196	पोड़ीउपरोड़ा
				197	पसान
		सरगुजा	अंबिकापुर	198	अंबिकापुर–1
				199	अंबिकापुर–2
				200	गरिमा
			लखनपुर	201	लखनपुर
			उदयपुर	202	उदयपुर
			सीतापुर	203	सीतापुर
			मैनपाठ	204	मैनपाठ
			लुण्ड्रा धौरपुर	205	लुण्ड्रा
				206	धौर[illegible]
			बतौली	207	बतौली

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
1	धान असिंचित	सुरजपुर	सुरजपुर	208	सुरजपुर
				209	पिलखा
			भैयाथान	210	भैयाथान
				211	भटगांव
			ओड़गी	212	ओड़गी
			रामानुजनगर	213	रामानुजनगर
			प्रेमनगर	214	प्रेमनगर
			प्रतापपुर	215	प्रतापपुर
				216	डाडकरवां
		बलरामपुर	रामचन्द्रपुर	217	रामचन्द्रपुर
			बलरामपुर	218	बलरामपुर
			वाड्रफनगर	219	वाड्रफनगर
				220	रघुनाथ नगर
			कुसमी	221	कुसमी
				222	सामरी
			शंकरगढ़	223	शंकरगढ़
			राजपुर	224	राजपुर
		कोरिया	सोनहत	225	सोनहत
			बैकुंण्ठपुर	226	बैकुण्ठपुर
				227	पटना
			मनेन्द्रगढ़	228	मनेन्द्रगढ़
			भरतपुर	229	भरतपुर
				230	कांटाडोल
			खड़गवां	231	खड़गवां
		रायगढ़	धरमजयगढ़	232	धरमजयगढ़
				233	कापू
			खरसिया	234	खरसिया
			रायगढ़	235	रायगढ़–1
				236	रायगढ़–2
				237	किरोड़ीमल नगर
			पुसौर	238	पुसौर
			सारंगढ़	239	सारंगढ़
				240	हरदी
			बरमकेला	241	बरमकेला
				242	सरिया
			घरघोड़ा	243	घरघोड़ा
			तमनार	244	तमनार
			लैलूंगा	245	लैलूंगा

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
1	धान असिंचित	जशपुर	पत्थलगांव	246	पत्थलगांव
				247	बागबहार
			कांसाबेल	248	कांसाबेल
			कुनकुरी	249	कुनकुरी
			दुलदुला	250	कस्तुरा
			फरसाबहार	251	तपकरा
			बगीचा	252	बगीचा
				253	सन्ना
			जशपुर	254	जशपुर
			मनोरा	255	मनोरा
2	धान सिंचित (182)	रायपुर	रायपुर	1	रायपुर–1
				2	धरसींवा–1
			आरंग	3	आरंग
				4	मंदिर हसौद
			अभनपुर	5	अभनपुर
				6	नवापारा
			तिल्दा	7	तिल्दा
				8	खरोरा
		बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	9	बलौदाबाजार
				10	लवन
			बिलाईगढ़	11	बिलाईगढ़
				12	भटगांव
			कसडोल	13	कसडोल
				14	गिधौरी
			सिमगा	15	सिमगा
				16	जरौद
			भाटापारा	17	भाटापारा
				18	निपनिया
			पलारी	19	पलारी
				20	सण्डी
		गरियाबंद	छुरा	21	छुरा
			मैनपुर	22	मैनपुर
			देवभोग	23	देवभोग
			गरियाबंद	24	गरियाबंद
			फिंगेश्वर–राजिम	25	राजिम

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
2	धान सिंचित	महासमुंद	महासमुंद	26	महासमुंद
				27	पटेवा
			बागबाहरा	28	खल्लारी
				29	कोमाखान
			पिथौरा	30	पिथौरा
				31	सांकरा
			बसना	32	बसना
				33	भंवरपुर
			सरायपाली	34	सरायपाली
				35	खम्हारपाली
		धमतरी	धमतरी	36	धमतरी
				37	भोथली
			नगरी	38	नगरी–सिहावा
			कुरूद	39	कुरूद
			मगरलोड	40	मगरलोड
		दुर्ग	दुर्ग	41	दुर्ग–1
				42	दुर्ग–2
				43	अन्डा
			पाटन	44	पाटन
				45	भिलाई
			धमधा	46	धमधा
				47	अहिवारा
		बालोद	बालोद	48	बालोद
			डौण्डी	49	दल्लीराजहरा
			डौण्डीलोहारा	50	डौंडीलोहारा
				51	खेरखा
			गुरूर	52	गुरूर
			गुण्डरदेही	53	गुण्डरदेही
				54	अर्जुण्दा
		बेमेतरा	बेमेतरा	55	बेमेतरा
				56	खण्डसरा
			नवागढ़	57	नवागढ़
				58	मारो
			थानखमरिया	59	थानखमरिया
			बेरला	60	बेरला
				61	अनंदगांव
			साजा	62	साजा
				63	देवकर

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
2	धान सिंचित	राजनांदगांव	राजनांदगांव	64	धुमका
				65	राजनांदगांव–1
				66	राजनांदगांव–2
			छुरिया	67	छुरिया
				68	खुज्जी
			डोंगरगांव	69	डोंगरगांव
				70	तुमड़ीबोड़
			खैरागढ़	71	खैरागढ
				72	पाड़ादाह
			छुईखदान	73	छुईखदान
				74	गंडई
			डोंगरगढ़	75	डोंगरगढ़
				76	लालबहादुर नगर
			मानपुर	77	मानपुर
			मोहला	78	मोहला
			अंबागढ़ चौकी	79	अंबागढ़ चौकी
		कबीरधाम (कवर्धा)	बोड़ला	80	तरेगांव जंगल
				81	राजानवागांव
				82	चिल्फी
				83	बोड़ला
				84	रेंगाखारकला
			कवर्धा	85	कवर्धा–1
				86	कवर्धा–2
				87	रवेली
				88	पिपरिया
				89	दसरंगपुर
				90	मुरका
			पंडरिया	91	पंडरिया
				92	कुकदुर
				93	दुल्लापुर
				94	मोहगांव
				95	कुण्डा
			सहसपुर लोहारा	96	सहसपुर लोहारा
				97	सिलहारी
				98	चारभाठा
				99	विरेन्द्रनगर

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
2	धान सिंचित	बस्तर (जगदलपुर)	तोकापाल	100	केसलूर
			बस्तर	101	बस्तर
				102	भानपुरी
		कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	103	बड़ेराजपुर
		कांकेर	कांकेर	104	कांकेर
			चारामा	105	चारामा
				106	लखनपुरी
			नरहरपुर	107	नरहरपुर
				108	सरोना
			भानुप्रतापपुर	109	भानुप्रतापपुर
				110	कोरर
			पखांजूर	111	पखांजूर
				112	बांदे
		सुकमा	सुकमा	113	सुकमा
			छिंदगढ़	114	छिंदगढ़
		बीजापुर	भोपालपट्टनम	115	भोपालपट्टनम
			उसूर	116	उसूर
		बिलासपुर	मस्तुरी	117	मस्तुरी
				118	सीपथ
			तखतपुर	119	तखतपुर
				120	सकरी
			बिल्हा	121	बिल्हा
			पेण्ड्रारोड़	122	गौरेला
			पेण्ड्रा	123	पेण्ड्रा
			मरवाही	124	मरवाही
			बिलासपुर	125	बिलासपुर
				126	बेलतरा
			कोटा	127	कोटा
				128	रतनपुर
		मुंगेली	मुंगेली	129	मुंगेली
				130	जरहागांव
			पथरिया	131	पथरिया
			लोरमी	132	लोरमी

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
2	धान सिंचित	जांजगीर – चांपा	जांजगीर	133	जांजगीर
			चांपा	134	चांपा
				135	बम्हनीडीह
			पामगढ़	136	पामगढ़
				137	राहोद
			सक्ती	138	सक्ती
			डभरा	139	डभरा
				140	चन्द्रपुर
			नवागढ़	141	नवागढ़
				142	शिवरीनारायण
			जैजेपुर	143	जैजेपुर
				144	हसौद
			मालखरौदा	145	मालखरौदा
				146	अड़मार
			अकलतरा	147	अकलतरा
			बलौदा	148	बलौदा
		कोरबा	कोरबा	149	भैंसमा
			करतला	150	करतला
				151	बरपाली
			कटघोरा	152	कटघोरा
			पाली	153	पाली
				154	हरदीबाजार
		सरगुजा	अंबिकापुर	155	अंबिकापुर–1
				156	अंबिकापुर–2
				157	गरिमा
			लखनपुर	158	लखनपुर
		सुरजपुर	सुरजपुर	159	सुरजपुर
				160	पिलखा
			भैयाथान	161	भैयाथान
			प्रतापपुर	162	प्रतापपुर
		बलरामपुर	राजपुर	163	राजपुर
		कोरिया	बैकुण्ठपुर	164	बैकुण्ठपुर
				165	पटना

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
2	धान सिंचित	रायगढ़	धरमजयगढ़	166	धरमजयगढ़
				167	कापू
			खरसिया	168	खरसिया
			रायगढ़	169	रायगढ़–1
				170	रायगढ़–2
				171	किरोड़ीमल नगर
			पुसौर	172	पुसौर
			सारंगढ़	173	सारंगढ़
				174	हरदी
			बरमकेला	175	बरमकेला
				176	सरिया
			घरघोड़ा	177	घरघोड़ा
			लैलूंगा	178	लैलूंगा
		जशपुर	कांसाबेल	179	कांसाबेल
			कुनकुरी	180	कुनकुरी
			फरसाबहार	181	तपकरा
			बगीचा	182	बगीचा
3	मक्का (105)	गरियाबंद	मैनपुर	1	मैनपुर
		राजनांदगांव	छुईखदान	2	गंडई
			मानपुर	3	मानपुर
			मोहला	4	मोहला
		कबीरधाम (कवर्धा)	बोड़ला	5	तरेगांव जंगल
				6	चिल्फी
				7	रेंगाखारकला
			पंडरिया	8	कुकदुर
				9	नेउर
		बस्तर (जगदलपुर)	जगदलपुर	10	जगदलपुर–अ
				11	नानगुर
			लोहांडीगुड़ा	12	चित्रकोट
			तोकापाल	13	केसलूर
			बस्तानार	14	बस्तानार
			दरभा	15	दरभा
			बस्तर	16	भानपुरी
			बकावंड	17	बकावंड
				18	मुली
				19	करपावंड

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
3	मक्का	कोण्डागांव	कोण्डागांव	20	कोडागांव
				21	मर्दापाल
			माकड़ी	22	माकडी
			फरसगांव	23	फरसगांव
			केशकाल	24	केशकाल
				25	धनौरा
			बड़ेराजपुर	26	बड़ेराजपुर
		नारायणपुर	नारायणपुर	27	नारायणपुर
				28	घोड़ाई
		कांकेर	कांकेर	29	कांकेर
			भानुप्रतापपुर	30	भानुप्रतापपुर
				31	कोरर
			दुर्गकोंदल	32	दुर्गकोंदल
			पखांजूर	33	पखांजूर
				34	बांदे
				35	कोयलीबेड़ा
			अंतागढ़	36	अंतागढ़
				37	आमाबेड़ा
		दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	38	दंतेवाड़ा
				39	बड़ेबचेली
				40	कोड़म
			गीदम	41	बारसूर
			कुआकोण्डा	42	कुआकोण्डा
				43	किरंदुल
			कटेकल्याण	44	कटेकल्याण
				45	बड़ेगुडरा
		सुकमा	कोंटा	46	कोंटा
				47	कांकेरलंका
			सुकमा	48	सुकमा
				49	गादीरास
			छिंदगढ़	50	छिंदगढ़
				51	तोकापाल
		बीजापुर	बीजापुर	52	बीजापुर
			भैरमगढ़	53	भैरमगढ़
			भोपालपट्टनम	54	भोपालपट्टनम
		बिलासपुर	पेण्ड्रारोड़	55	गौरेला
			पेण्ड्रा	56	पेण्ड्रा
			मरवाही	57	मरवाही
			कोटा	58	कोटा

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
3	मक्का	कोरबा	कोरबा	59	भैंसमा
			कटघोरा	60	कटघोरा
			पाली	61	पाली
			पोड़ीउपरोड़ा	62	पोड़ीउपरोड़ा
				63	पसान
		सरगुजा	अंबिकापुर	64	अंबिकापुर–1
				65	अंबिकापुर–2
				66	गरिमा
			लखनपुर	67	लखनपुर
				68	उदयपुर
				69	सीतापुर
				70	मैनपाठ
				71	लुण्ड्रा
				72	धौरपुर
				73	बतौली
		सुरजपुर	सुरजपुर	74	सुरजपुर
				75	पिलखा
			भैयाथान	76	भैयाथान
				77	भटगांव
			ओड़गी	78	ओड़गी
			रामानुजनगर	79	रामानुजनगर
			प्रेमनगर	80	प्रेमनगर
			प्रतापपुर	81	प्रतापपुर
				82	डाडकरवां
		बलरागपुर	रामचन्द्रपुर	83	रामचन्द्रपुर
			बलरामपुर	84	बलरामपुर
			वाड्रफनगर	85	वाड्रफनगर
				86	रघुनाथ नगर
			कुसमी	87	कुसमी
				88	सामरी
			शंकरगढ़	89	शंकरगढ़
			राजपुर	90	राजपुर
		कोरिया	सोनहत	91	सोनहत
			बैकुण्ठपुर	92	बैकुण्ठपुर
				93	पटना
			मनेन्द्रगढ़	94	मनेन्द्रगढ़
			भरतपुर	95	भरतपुर
				96	का[illegible]डोल
			खड़गवां	97	खड़गवां

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
3	मक्का	रायगढ़	धरमजयगढ़	98	धरमजयगढ़
				99	कापू
		जशपुर	पत्थलगांव	100	पत्थलगांव
			कांसाबेल	101	कांसाबेल
			कुनकुरी	102	कुनकुरी
			बगीचा	103	बगीचा
				104	सन्ना
			मनोरा	105	मनोरा
4	मूंगफली (45)	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	1	भटगांव
		महासमुंद	महासमुंद	2	पटेवा
			बागबाहरा	3	खल्लारी
				4	कोमाखान
			पिथौरा	5	पिथौरा
				6	सांकरा
			बसना	7	बसना
				8	भंवरपुर
			सरायपाली	9	सरायपाली
				10	खम्हारपाली
		बिलासपुर	पेण्ड्रारोड़	11	गौरेला
			मरवाही	12	मरवाही
		मुंगेली	पथरिया	13	पथरिया
		सरगुजा	लखनपुर	14	लखनपुर
			उदयपुर	15	उदयपुर
			सीतापुर	16	सीतापुर
			मैनपाठ	17	मैनपाठ
			बतौली	18	बतौली
		सुरजपुर	सुरजपुर	19	पिलखा
			भैयाथान	20	भैयाथान
				21	भटगांव
			ओड़गी	22	ओड़गी
			रामानुजनगर	23	रामानुजनगर
			प्रतापपुर	24	प्रतापपुर
				25	डाडकरवां
		बलरामपुर	बलरामपुर	26	बलरामपुर
			वाड्रफनगर	27	वाड्रफनगर
			शंकरगढ़	28	शंकरगढ़
			राजपुर	29	राजपुर

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
4	मूंगफली	रायगढ़	धरमजयगढ़	30	धरमजयगढ़
				31	कापू
			पुसौर	32	पुसौर
			सारंगढ़	33	सारंगढ़
				34	हरदी
			बरमकेला	35	बरमकेला
				36	सरिया
			घरघोड़ा	37	घरघोड़ा
			तमनार	38	तमनार
			लैलूंगा	39	लैलूंगा
		जशपुर	पत्थलगांव	40	पत्थलगांव
				41	बागबहार
			कांसाबेल	42	कांसाबेल
			कुनकुरी	43	कुनकुरी
			फरसाबहार	44	तपकरा
			बगीचा	45	बगीचा
5	अरहर (77)	बलौदाबाजार	सिमगा	1	सिमगा
		गरियाबंद	मैनपुर	2	मैनपुर
			देवभोग	3	देवभोग
		महासमुंद	बसना	4	भंवरपुर
		दुर्ग	धमधा	5	धमधा
				6	अहिवारा
		बालोद	डौण्डीलोहारा	7	डौंडीलोहारा
				8	खेरखा
		बेमेतरा	बेमेतरा	9	बेमेतरा
				10	खण्डसरा
			नवागढ़	11	नवागढ़
			थानखमरिया	12	थानखमरिया
			बेरला	13	बेरला
		राजनांदगांव	राजनांदगांव	14	धुमका
			खैरागढ़	15	खैरागढ
				16	पाड़ादाह
			छुईखदान	17	छुईखदान
				18	गंडई

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
5	अरहर	कबीरधाम (कवर्धा)	बोड़ला	19	तरेगांव जंगल
				20	बोड़ला
			कवर्धा	21	दसरंगपुर
			पंडरिया	22	नेउर
				23	कुकदुर
			सहसपुर लोहारा	24	सहसपुर लोहारा
				25	चारभाठा
				26	विरेन्द्रनगर
		बिलासपुर	तखतपुर	27	तखतपुर
				28	सकरी
			पेण्ड्रारोड़	29	गौरेला
			पेण्ड्रा	30	पेण्ड्रा
			मरवाही	31	मरवाही
		मुंगेली	मुंगेली	32	मुंगेली
			पथरिया	33	पथरिया
			लोरमी	34	लोरमी
		कोरबा	कोरबा	35	भैंसमा
			पाली	36	पाली
			पोड़ीउपरोड़ा	37	पोड़ीउपरोड़ा
				38	पसान
		सरगुजा	अंबिकापुर	39	गरिमा
			लखनपुर	40	लखनपुर
			उदयपुर	41	उदयपुर
			सीतापुर	42	सीतापुर
			मैनपाठ	43	मैनपाठ
			लुण्ड्रा धौरपुर	44	लुण्ड्रा
				45	धौरपुर
			बतौली	46	बतौली
		सुरजपुर	सुरजपुर	47	पिलखा
			भैयाथान	48	भैयाथान
			ओड़गी	49	ओड़गी
			रामानुजनगर	50	रामानुजनगर
			प्रेमनगर	51	प्रेमनगर
			प्रतापपुर	52	प्रतापपुर
				53	डाडकरवां

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
5	अरहर	बलरामपुर	रामचन्द्रपुर	54	रामचन्द्रपुर
			बलरामपुर	55	बलरामपुर
			वाड्रफनगर	56	वाड्रफनगर
				57	रघुनाथ नगर
			शंकरगढ़	58	शंकरगढ़
			राजपुर	59	राजपुर
		कोरिया	सोनहत	60	सोनहत
			बैकुण्ठपुर	61	बैकुण्ठपुर
				62	पटना
			मनेन्द्रगढ़	63	मनेन्द्रगढ़
			भरतपुर	64	भरतपुर
				65	कांटाडोल
			खड़गवां	66	खड़गवां
		रायगढ़	धरमजयगढ़	67	कापू
			पुसौर	68	पुसौर
			तमनार	69	तमनार
			लैलूंगा	70	लैलूंगा
		जशपुर	पत्थलगांव	71	पत्थलगांव
				72	बागबहार
			कांसाबेल	73	कांसाबेल
			कुनकुरी	74	कुनकुरी
			फरसाबहार	75	तपकरा
			बगीचा	76	बगीचा
			मनोरा	77	मनोरा
6	सोयाबीन (39)	दुर्ग	धमधा	1	धमधा
				2	अहिवारा
		बेमेतरा	बेमेतरा	3	बेमेतरा
				4	खण्डसरा
			नवागढ़	5	नवागढ़
			थानखमरिया	6	थानखमरिया
			बेरला	7	बेरला
				8	अनंदगांव
			साजा	9	साजा
				10	देवकर

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल	
1	2	3	4	5	
6	सोयाबीन	राजनांदगांव	राजनांदगांव	11	धुमका
				12	राजनांदगांव–1
			डोंगरगांव	13	तुमड़ीबोड़
			खैरागढ़	14	खैरागढ
				15	पाड़ादाह
			छुईखदान	16	छुईखदान
				17	गंडई
			डोंगरगढ़	18	डोंगरगढ़
				19	लालबहादुर नगर
		कबीरधाम (कवर्धा)	बोड़ला	20	तरेगांव जंगल
				21	राजानवागांव
				22	चिल्फी
				23	बोड़ला
			कवर्धा	24	कवर्धा–1
				25	कवर्धा–2
				26	रवेली
				27	पिपरिया
				28	दसरंगपुर
				29	मुरका
			पंडरिया	30	पंडरिया
				31	दुल्लापुर
				32	मोहगांव
				33	कुण्डा
			सहसपुर लोहारा	34	सहसपुर लोहारा
				35	सिलहारी
				36	चारभाठा
				37	विरेन्द्रनगर
		मुंगेली	मुंगेली	38	मुंगेली
			लोरमी	39	लोरमी

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 11-23/2012/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा जिला बिलासपुर के ग्राम-सिलपहरी एवं अन्य तीन ग्राम में स्थित 605.95 एकड़ भूमि को सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित करता है, जिसका ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है :—

ग्राम का नाम (1)	अनुक्रमांक (2)	खसरा नम्बर (3)	रकबा (एकड़ में) (4)
सिलपहरी	1.	18	183.57
	2.	34	0.30
	3.	35	0.25
	4.	39	0.75
	5.	40	0.50
	6.	41	0.50
	7.	47	0.05
		योग रकबा	**185.92**
कोरमी	1.	599/1	23.46
	2.	606	2.83
	3.	648	0.43
	4.	665	0.96
	5.	679	28.00
	6.	698/1	10.90
		योग रकबा	**66.58**
बसिया	1.	374	2.65
	2.	373	0.52
	3.	379	0.08
	4.	384/1	1.02
	5.	390	6.24
	6.	394	0.93
	7.	585	0.20
	8.	606	0.38
	9.	609	10.96
	10.	610	116.95
		योग रकबा	**139.93**
हरदीकला टोना	1.	657	210.95
	2.	659	0.07
	3.	688	0.05
	4.	695	0.16

(1)	(2)	(3)	(4)
	5.	696	1.82
	6.	709	0.07
	7.	758	0.40
		योग रकबा	**213.52**

उपरोक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना का विकास, संधारण एवं भू-खंडों का आवंटन छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नियमानुसार किया जाएगा.

उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र में शासन द्वारा समय-समय पर घोषित सभी प्रावधान यथावत् लागू होंगे. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, संयुक्त सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2012

क्रमांक एफ 5-23/2004/10-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-06-2010 की कंडिका 14(1) के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित करता है :—

14(1) राज्य कैम्पा की क्रियान्वयन समिति निम्नानुसार होगी :—

(i)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	अध्यक्ष
(ii)	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक	सदस्य
(iii)	मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)	सदस्य
(iv)	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ	सदस्य
(v)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के वित्त नियोजक/वित्त सलाहकार	सदस्य
(vi)	गैर सरकारी संस्थाओं के दो नामांकित सदस्य जिन्हें राज्य शासन द्वारा दो वर्ष के लिए नामांकित किया जावेगा एवं जिन्हें पुनर्नामांकित किया जा सकेगा.	सदस्य
(vii)	नोडल अधिकारी (मुख्य वन संरक्षक, भू-प्रबंध)	सदस्य
(viii)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)	सदस्य सचिव

No. F 5-23/2004/10-2.— The State Government hereby substitutes the following paragraphs in place of para 14(1) of the notification of even No. dated 23-06-2010 :—

(i)	Principal Chief Conservator of Forests	Chairman
(ii)	Chief Wild Life Warden	Member
(iii)	Managing Director, Chhattisgarh Rajya Laghu Vanopaj Sangh	Member
(iv)	Chief Conservator of Forest (Development/Planning)	Member
(v)	Financial Controller/Financial Adviser in Principal Chief Conservator of Forests	Member
(vi)	Two eminent NGO's to be Nominated by the State Government for a period of 2 years at a time, who shall be eligible for re-nomination.	Member
(vii)	Nodal Officer (Chief Conservator of Forests, Land Management)	Member
(viii)	Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA)	Member Secretary

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2012

क्रमांक/1388/3531/2011/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की सूचना क्रमांक 192/3531/2011/32 दिनांक 25-01-2012 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

राजनांदगांव विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टर में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पेण्ड्री प.ह.नं. 23	578/1, 596	10.296 हे. (25.44 एकड़)	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)
2.	बजरंगपुर नवागांव प.ह.नं. 21	291/2	2.023 हे. (5.00 एकड़)	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण देव संस्कृति विश्वविद्यालय राजनांदगांव में स्थापना के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण राजनांदगांव विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2012

क्रमांक एफ 7-24/2011/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 (क) (1) के अंतर्गत इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12-07-2011 द्वारा बलौदा बाजार विकास योजना हेतु गठित समिति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

अधिनियम की धारा-17 (क) (1) की उपधारा	पद का नाम	संस्था/पता
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत बलौदा बाजार
(ज)	4 प्रतिनिधि	जिला अध्यक्ष जिला बलौदाबाजार
	5 प्रतिनिधि	पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के न[illegible] तथा आदेशानुसार,
एस. ए[illegible] [illegible]जाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 13 जून 2012

क्रमांक/130/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 10/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बरौदा प. ह. नं. 72/15	788/2	1.80	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर परियोजना अंतर्गत भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के नये कन्ट्रोल टावर एवं फायर स्टेशन के निर्माण हेतु.
		योग	1	1.80		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 8 मई 2012

क्रमांक/भू-अर्जन प्र.क्र. 1 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	पलारी	का[illegible]ोट प. ह. नं. 32	1.002	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

बलौदाबाजार, दिनांक 8 मई 2012

क्रमांक/भू-अर्जन प्र.क्र. 3 अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	पलारी	सीतापार प. ह. नं. 33	1.242	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

बलौदाबाजार, दिनांक 9 मई 2012

क्रमांक/भू-अर्जन प्र.क्र. 2 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	पलारी	अहमदपुर प. ह. नं. 32	1.155	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 21 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	करूमौहा/ कल्गामार	13.56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	करूमौहा जलाशय बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 21 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	रिस्दा	10.907	अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री, (सिविल) सुधार क्र. 1, छ. ग. रा. वि. मं., कोरबा (पूर्व).	कोरबा दक्षिण ताप विद्युत गृह एवं राखड़ बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 21 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	जोगीपाली	3.65	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग, कोरबा संभाग, कोरबा.	रामपुर, जोगीपाली, मदवानी मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 22 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	बिंझरा	0.336	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निगम संभाग, बिलासपुर.	सेतु निर्माण के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 11 जून 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	सलिहाभाठा प. ह. नं. 32	0.907	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, रायगढ़.	पूंजीपथरा - तमनार-लैलूंगा में बायपास (सलिहाभांठा से आमाघाट) मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 जून 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बासनपाली प. ह. नं. 37	8.914	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, रायगढ़.	पूंजीपथरा - तमनार-लैलूंगा में बायपास (सलिहाभांठा से आमाघाट) मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 जून 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	गोढ़ी प. ह. नं. 38	4.229	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, रायगढ़.	पूंजीपथरा - तमनार-लैलूंगा में बायपास (सलिहाभांठा से आमाघाट) मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 1 जून 2012

क्रमांक/125/भू.अ./अ.वि.अ./01 अ./82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-आरंग
(ग) नगर/ग्राम-रीको, प.ह.नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	51/2	0.01
	51/3	0.01
योग	2	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास कार्य (मंदिरहसौद-केन्द्री रेलवे लाईन) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ./82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-बिटकुला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.32 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
143	0.12
144/3	0.02
75/1च, 75/12, 75/13	0.20
144/7	0.09
144/8	0.30
75/1छ, 75/4, 75/5	0.66
144/10	0.10
146	0.03
147	0.36
148	0.34
197/1	0.09
149	0.06
150	0.25
197/2	0.15
145/1	0.02
318	0.15
140/1	0.20
319	0.15
194, 195/2, 196/3	0.24
163	0.04
193	0.07
186	0.31
196/1	0.06
196/2	0.10
192	0.05
188/1	0.14
184/2, 188/2	0.04
75/1ख	0.23
144/9	0.08
75/1ज, 75/16, 45/17	0.20
75/1ष, 75/4, 75/7	0.30
197/1	0.07
198	0.14
203/2	0.15
204	0.06
232/1, 232/3	0.06
232/2	0.07
237	0.15
238/9	0.04
238/3	0.09
236/1	0.15
236/3	0.05
241	0.03
242/1	0.10
242/2	0.04
242/3	0.10
285/1	0.06
267	0.04
258	0.08
266	0.21
259, 260	0.06
256	0.04
257	0.10
285/2	0.02
290/2	0.09
367/1, 267/5	0.14
369	0.20
387/1	0.24
387/2	0.17
404/1	0.09
394	0.07
397/3	0.09
402/1	0.34
403/2	0.08
406/2	0.03
408/1, 408/2	0.16

(1)	(2)
449/1	0.21
403/1	0.10
403/3	0.09
404/3	0.02
368/8, 368/9, 368/10, 368/11, 368/12, 368/13, 368/14	0.14
योग	9.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रामअवतार जलाशय योजना के दायीं, बायीं नहर एवं दायीं सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-झारमुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-42.371 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
780/4	0.146
786/3	0.016
777	0.036
789/2	0.247
826/2घ	0.030
31/1ख	0.356
289/2, 293	0.057
304	0.668
26/1	0.429
289/5, 296/1	0.053
301/1	0.174
826/2ग	0.015
816/1	0.275
298/2	0.045
817	0.138
288	0.401
826/3	0.075
774	0.259
19/1	0.097
19/5	0.251
812/6, 812	0.036
10	0.466
825	0.267
789/3	0.061
302/2	0.053
780/5	0.146
824/1	0.045
300/2ख	0.016
826/4	0.073
770/3	0.094
27/1	0.510
295	0.040
26/3	0.336
20	0.304
289/11, 296/2	0.036
301/2	0.065
826/2ख	0.018
297/1ग	0.166
296/1ख	0.020
819	0.178
7, 7/2ख	0.171
300/2क	0.146
16	0.275
19/2	0.032
19/6	0.036
826/5, 826	0.107
291	0.174
783/2	0.326

(1)	(2)	(1)	(2)
812/9	0.049	12	0.372
303/1	0.162	822/2	0.053
785/1	0.162	809/2	0.667
823/1	0.510	813/3	0.105
303/2	0.202	775/1	0.056
826/2ग	0.015	780/3	0.012
289/6, 293/4	0.089	795/4	0.132
27/3	0.040	4	0.174
296/2क	0.101	8	0.049
769/1ख	0.117	782	1.384
301/7	0.101	13/1	0.207
289/12	0.178	769/1क	0.291
302/1	0.443	24	0.121
814	0.314	780/2	0.142
297/2	0.182	771/3	0.348
771/1	0.352	783/1	0.053
780/1	0.202	797	0.713
9/1	0.817	801	0.332
303/5	0.142	805	0.348
17/2	0.308	809/1	0.137
19/3	0.101	289/2, 294/4	0.053
26/2	0.129	300/1, 301/4	0.077
11	0.401	289/5, 294/2	0.057
822/1	0.656	289/19	0.020
799/2	0.490	302/7	0.061
812/5	0.040	302/4	0.101
826/2क	0.018	302/5	0.121
778/1	0.109	300/5	0.073
778/2	0.101	301/5	0.097
29/3	0.202	820	1.238
768	0.146	7, 9/2ग	0.171
289/23	0.073	1	0.575
27/4	0.049	5	0.429
430	0.186	22	0.125
23/1क	0.510	781/2	0.049
289/1, 293/1	0.194	789/1	0.123
289/137	0.040	26/4	0.182
28/1	0.081	25	1.493
815	0.065	781/1	0.053
296/4	0.016	816/2	0.809
773	0.223	786/1	0.029
780/2	0.142	798	0.085
826/1, 827/3	0.040	802	0.113
770/2	0.045	806	0.352
18	0.510	808/2	0.016
19/4	0.069	289/16	0.243
30/2	0.117	301/12	0.214

(1)	(2)
289/9, 294/3	0.032
289/21	0.045
289, 293	0.057
289/4	0.057
302/6	0.081
301/3	0.024
302/3	0.040
9/1ग	0.194
2	0.624
6/1	0.077
15	0.259
6/2	0.008
812/3	0.109
30/1	0.255
31/1ग	0.109
785/1	0.594
786/3	0.016
787	1.765
799/1	0.032
803	0.247
807	0.045
810	0.093
289/18	0.069
301/13	0.089
289/15	0.178
300/7	0.069
301/7	0.101
301/9	0.186
289/6	0.089
300, 301/6	0.053
812/2, 813/2	0.049
9/3	0.032
3	0.567
21	1.157
776	1.080
9/1, 13/2	0.451
813/1	0.049
29/1	0.102
772	0.291
786/2	0.037
784/1	0.292
788	0.967
800	0.275
804	0.320
808	0.065
811	0.490
289/20	0.053
302/8	0.069
289/16	0.053
301/11	0.194
301/8	0.032
301/10	0.069
300/4	0.016
301/4	0.106
812/4, 813/4	0.069
योग 196	42.371

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-अटल विहार योजना प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्राधिकृत अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 8 जून 2012

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 492.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 302 दिनांक 29-03-2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची

में विनिर्दिष्ट भूमि में अथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम-कठर्रापाली, तह. डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम-सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13-04-2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कठर्रापाली/01	136/2, 136/3, 136/5	0.324	0.80
			138	0.162	0.40
			139/5	0.016	0.04
			193/1, 193/2	0.170	0.42
			192/2	0.016	0.04
			190/1, 190/4	0.138	0.34
			189/1, 189/5, 189/6, 189/7	0.158	0.39
			145/3	0.065	0.16
			171/4	0.008	0.02
			कुल 09	**1.056**	**2.61**

डभरा, दिनांक 8 जून 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 494.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 294 दिनांक 29-03-2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची

में विनिर्दिष्ट भूमि में अथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम-कंवलाझर, तह. डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम-सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13-04-2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कंवलाझर/09	281/1	0.024	0.06
			280	0.032	0.08
			279/1, 3	0.081	0.20
			279/2	0.040	0.10
			277	0.036	0.09
			276	0.008	0.02
			267/1	0.065	0.16
			267/2	0.024	0.06
			268/1	0.028	0.07
			268/2	0.008	0.02
			275	0.016	0.04
			269/2	0.024	0.06
			271, 272	0.093	0.23
			273/1	0.040	0.10
			458	0.016	0.04
			457	0.008	0.02
			456/1	0.016	0.04
			456/2	0.016	0.04
			455	0.020	0.05
			454/1	0.061	0.15
			453/2	0.061	0.15
			452	0.020	0.05
			442/1, 442/2	0.121	0.30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			469/2	0.024	0.06
			470	0.053	0.13
			468/2	0.020	0.05
			472	0.040	0.10
			496	0.032	0.08
			495	0.016	0.04
			473, 474	0.085	0.21
			488, 489	0.081	0.20
			487/1	0.032	0.08
			487/2	0.032	0.08
			523	0.020	0.05
			988	0.049	0.12
			989	0.121	0.30
			956/1	0.032	0.08
			956/2	0.032	0.08
			956/3	0.032	0.08
			956/4	0.081	0.20
			952/1	0.081	0.20
			952/3	0.012	0.03
			942/1क	0.134	0.33
			943/2	0.061	0.15
			933/2	0.049	0.12
			933/1क	0.061	0.15
			932/2	0.012	0.03
			932/1	0.053	0.13
			929/1	0.008	0.02
			929/2	0.028	0.07
			899	0.020	0.05
			898	0.028	0.07
			892/1क	0.348	0.86
			892/1ख	0.008	0.02
			892/1ङ	0.008	0.02
			887/2	0.073	0.18
			887/1	0.073	0.18
			881/2	0.040	0.10
			881/1	0.020	0.05
			879/1	0.101	0.25
			880/5	0.113	0.28
			833/3	0.109	0.27
			833/1	0.008	0.02
			833/4	0.097	0.24
			833/7, 833/10, 833/11, 833/12	0.121	0.30
			831	0.036	0.09
			825/1	0.105	0.26
			824	0.049	0.12
			822	0.016	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			823/3	0.045	0.11
			812/2	0.061	0.15
			812/1	0.121	0.30
			811/2	0.069	0.17
			810	0.020	0.05
			809/1	0.024	0.06
			809/2	0.024	0.06
			808	0.081	0.20
		कुल	**77**	**3.966**	**9.80**

डभरा, दिनांक 8 जून 2012

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 496.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 306 दिनांक 29 03-2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में अथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम-सिरियागढ़, तह. डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम-सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13-04-2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सिरियागढ़/09	284	0.012	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			283	0.032	0.08
			282/2	0.036	0.09
			281/1	0.081	0.20
			22/1	0.069	0.17
			22/2	0.020	0.05
			20/2	0.032	0.08
			27	0.069	0.17
			26/1	0.012	0.03
			28	0.049	0.12
			29/1	0.049	0.12
			30/1	0.089	0.22
			33/3	0.008	0.02
			33/4	0.020	0.05
			275/2	0.097	0.24
		कुल	**15**	**0.676**	**1.67**

डभरा, दिनांक 8 जून 2012

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 498.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 298 दिनांक 29-03-2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में अथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम-झनकपुर, तह. डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम-सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13-04-2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	झनकपुर/09	67/3	0.020	0.05
			49/2	0.008	0.02
			67/4	0.020	0.05
			3	0.032	0.08
			4	0.024	0.06
			5/1	0.032	0.08
			6	0.012	0.03
			7	0.020	0.05
			8	0.162	0.40
			1/3	0.016	0.04
			9/5	0.008	0.02
			17	0.004	0.01
			16/1	0.004	0.01
			18	0.053	0.13
			21/1	0.049	0.12
			22	0.016	0.04
			23/2	0.045	0.11
			24	0.004	0.01
			27/1, 27/2, 27/3	0.028	0.07
			30/1	0.036	0.09
			35	0.036	0.09
			36/1	0.008	0.02
			34/2	0.065	0.16
		कुल	**23**	**0.704**	**1.74**

एस. सी. श्रीवास्तव,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 29 मार्च 2012

क्रमांक/3419/ज्ये.लि.-1/2012.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारम्भ होते ही जल-जनित संक्रामक रोग जैसे-उल्टी-दस्त, आंत्रशोथ, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारम्भ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बीमारियों के महामारी का रूप धारण करने की सम्भावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला को 6 माह (छ: माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

(2) जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों, तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैण्डों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिए रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियां, मिष्ठान, मांस, मछलियां, अनाज, रोटी, मानवीय उपयोग के लिए पेय पदार्थ जैसे-बर्फ, आईस्क्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ.ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय राजनांदगांव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर निगम क्षेत्र/नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं.

(3) जिले के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

(4) यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नारायणपुर (छ.ग.)

नारायणपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्रमांक/758/ज्ये.लि.-1/2012.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारम्भ होते ही जल-जनित संक्रामक रोग जैसे-उल्टी-दस्त, आंत्रशोथ, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारम्भ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बीमारियों के महामारी का रूप धारण करने की सम्भावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं एस. आर. ब्राम्हणे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण नारायणपुर जिला को 6 माह (छ: माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

(2) जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों, तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैण्डों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिए रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियां, मिष्ठान, मांस, मछलियां, अनाज, रोटी, मानवीय उपयोग के लिए गंदा पेय पदार्थ जैसे-बर्फ, आईस्क्रीम, शीतल पेय, गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोथ,

पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ.ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन/सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय नारायणपुर, जिले के समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के नगर पंचायत/ग्राम पंचायत अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं.

(3) जिले के महत्वपूर्ण बस स्टेशन एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जायेगी.

(4) यह आदेश पूर्ण सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

एस. आर. ब्राह्मणे,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 26 अप्रैल 2012

क्रमांक/1918/कले./व.लि.-2/2012.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारम्भ होते ही (जल-जनित संक्रामक रोग) जैसे-उल्टी-दस्त, आंत्रशोथ, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारम्भ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बीमारियों के महामारी का रूप धारण करने की सम्भावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अतः छत्तीसगढ़ आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं एन. के. खाखा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण कांकेर जिला को 6 माह (छः माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

2. जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों, तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैण्डों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिए रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियां, मिष्ठान, मांस, मछलियां, अनाज, रोटी, मानवीय उपयोग के लिए पेय पदार्थ जैसे-बर्फ, आईस्क्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ.ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय कांकेर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र एवं खाद्य अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिए निर्देश दिये जाते हैं.

3. जिले के महत्वपूर्ण स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

4. यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

एन. के. खाखा,
कलेक्टर.

कार्यालय, आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर (छ.ग.)

(बी-99 मेन रोड, समता कालोनी, डॉ. पांडे नर्सिंग होम के पास)

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./2012/20.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा नियम 1961 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं भाग-दो, नीचे लिखित अनुसार दिनांक 14-05-2012 से 18-05-2012 तक होगी :—

भाग-एक

क्र. (1)	प्रश्न पत्र (2)	दिनांक (3)	दिन (4)	विषय (5)	समय (6)
1.	प्रथम	14-05-2012	सोमवार	संक्षेपिका तथा प्रारूप (पुस्तक रहित)	3.00 घंटे प्रात: 10.30 बजे से 01.30 बजे
2.	द्वितीय	15-05-2012	मंगलवार	मूलभूत नियम, सिविल लेखा विनियम इत्यादि (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे प्रात: 10.30 बजे से 1.00 बजे
3.	तृतीय	16-05-2012	बुधवार	लेखा परीक्षा तथा लेखा संहिताएं (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे प्रात: 10.30 बजे से 1.00 बजे
4.	चतुर्थ-अ	17-05-2012	गुरुवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम (सैद्धांतिक) (पुस्तक सहित)	1.30 घंटे प्रात: 10.30 बजे से 12.00 बजे
5.	चतुर्थ-ब	18-05-2012	शुक्रवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम (व्यावहारिक) (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे प्रात: 10.30 बजे से 1.00 बजे

भाग-दो

क्र. (1)	प्रश्न पत्र (2)	दिनांक (3)	दिन (4)	विषय (5)	समय (6)
1.	प्रथम-अ	14-05-2012	सोमवार	विधान मण्डल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (सैद्धांतिक) (पुस्तक रहित)	1.30 घंटे दोपहर 02.30 बजे से 04.00 बजे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	प्रथम-ब	15-05-2012	मंगलवार	विधान मण्डल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (व्यावहारिक) (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे दोपहर 02.30 बजे से 5.00 बजे
3.	द्वितीय	16-05-2012	बुधवार	भारत का संविधान (पुस्तक सहित)	3 घंटे दोपहर 02.30 बजे से 5.30 बजे
4.	तृतीय	17-05-2012	गुरुवार	वाणिज्यिक बहीखाता (पुस्तक सहित)	2 घंटे दोपहर 02.30 बजे से 04.30 बजे
5.	चतुर्थ	18-05-2012	शुक्रवार	स्थानीय नियम तथा लोक निर्माण कार्य लेखा संहिता (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे 02.30 बजे से 05.00 बजे

बी. एस. अनंत,
आयुक्त.

कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, कालीबाड़ी रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 17 मई 2012

क्रमांक/खाद्य/2012/1766.—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 36 की उप-धारा (1) सहपठित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के खण्ड 1.2.1 (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़, एतद्द्वारा, छोटे खाद्य कारबारकर्ता के पंजीयन हेतु कॉलम (3) में उल्लिखित निम्नलिखित व्यक्तियों को, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उनके नाम के सम्मुख दर्शित क्षेत्र के लिये पंजीयन प्राधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं :—

सारणी

स. क्र. (1)	क्षेत्र (2)	पंजीयन प्राधिकारी का नाम (3)	टिप्पणी (4)
1.	नगरपालिक निगम	स्वास्थ्य अधिकारी/सहायक स्वास्थ्य अधिकारी	स्वास्थ्य अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पंजीयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे.
2.	नगर पालिका परिषद्	स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक	स्वास्थ्य अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में, स्वच्छता निरीक्षक पंजीयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे.
3.	नगर पंचायत	स्वच्छता निरीक्षक	--
4.	ग्राम पंचायत	पंचायत सचिव	—
5.	नगरपालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत.	पदाभिहित अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी	उपरोक्त प्राधिकारियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, पदाभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पंजीयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे.

No./खाद्य/2012/1766.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006) read with clause 1.2.1 (5) of the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011, the Commissioner, Food Safety, Chhattisgarh, hereby, appoints the following persons mentioned in column (3) as Registering Authority for the area mentioned against them in column (2), of the table below for the registration of small Food Operators with immediate effect :—

TABLE

S. No.	Area	Name of Registering Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nagar Palik Nigam	Health Officer/Assistant Health Officer.	On non-availability of Health Officer the Assistant Health Officer will act as Registering Authority.
2.	Nagar Palika Parishad	Health Officer/Sanitary Inspector.	On non-availability of Health Officer the Sanitary Inspector will act as Registering Authority.
3.	Nagar Panchayat	Sanitary Inspector	--
4.	Gram Panchayat	Panchayat Secretary	--
5.	Nagar Palik Nigam/ Nagar Palika Parishad/ Nagar Panchayat/Gram Panchayat.	Designated Officer/Food Safety Officer.	In case of non-availability of the above Authorities, Designated Officer or Food Safety Officers will act as Registering Authority.

के. सुब्रमणियम,
आयुक्त.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 26th May 2012

No. 442/L.G./2012/II-3-33/2007.—Shri Balindar Singh Saluja, the then Additional Registrar (Admn.), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 10 days from 07-04-2012 to 16-04-2012 along with permission to remain out of headquarters for the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Saluja, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 256 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
RAJESH SHRIVASTAVA, Additional Registrar.